

18



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2013 सिंगरौली, निगरानी R-3345-11113

श्री. राजू प्रसाद सेठ, को
द्वारा आज दि. 6-9-13 को
प्रस्तुत
बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. हीरामणि पुत्र रामकरन
 2. गोविन्द पुत्र शेषमणि
 3. उमरिया पुत्र वंशू
- निवासीगणग ग्राम गोरा तहसील सरई
जिला सिंगरौली म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

1. गंगाप्रसाद जायसवाल पुत्र रामवतार जायसवाल
2. दधिबल
3. मोरध्वज पुत्रगण भोंदू
4. गंकार प्रसाद पुत्र रामवतार
5. सोनलाल पुत्र भगवानदास
निवासीगण ग्राम गोरा तहसील सरई
जिला सिंगरौली
6. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील सरई जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/ अ- 12/ 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है :-

महादेय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों पर आधारों पर प्रस्तुत

है:-

6-9-13


XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3345-तीन/13

जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सरई के प्रकरण क्र. 16/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी सरई जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	